

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 11634-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 1 अप्रैल 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, २०१६

विनियोग अधिनियमों का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, २०१६ है.

विनियोग अधिनियमों का निरसन.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमित के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमित पर, जिसमें निरसित अधिनियमित लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा:

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा:

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पर या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमित द्वारा, जो कि एतद्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमित के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, दायित्व अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमितियों का निरसन संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच पर या किसी प्राधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई इस प्रकार की जा सकेगी और, या जारी रखी जा सकेगी मानो कि उक्त अधिनियमितियों को इस अधिनियम द्वारा निरसित ही नहीं किया गया हो.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१९८०	१७	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९८०	संपूर्ण
१९८०	१८	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९८०	संपूर्ण
१९९३	१५	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३	संपूर्ण
१९९३	१६	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३	संपूर्ण
१९९३	५८	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) अधिनियम, १९९३	संपूर्ण

उद्देश्यों और कारणों का कथन

१. केन्द्र सरकार कानूनी पुस्तक में की अप्रचलित और अनावश्यक विधियों (केन्द्रीय अधिनियमों) को निरसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन विधियों के जो कि अप्रचलित हैं या जो महत्वहीन हो चुकी हैं, निरसन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत के विधि आयोग ने “ओब्सोलीट लॉज : वारंटिंग इमीजिएट रिपील” पर अपने २४८वें, २४९वें, २५०वें और २५१वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ २८९ अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की है।

२. प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित रामानुजम समिति ने १७४१ अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त १९७७ से अब तक संसद् द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिनियमित किये गये १४४ विनियोग अधिनियम संविधान के अनुच्छेद ३५७(२) के अधीन सम्बन्धित राज्य विधान-मण्डलों द्वारा निरसित किए जाने हैं। अनुच्छेद ३५७(२) इस प्रकार है :—

“३५७(२) राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, बनाई गई ऐसी विधि, जिसे संसद् अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।”

३. संविधान के अनुच्छेद ३५७(२) के अधीन मध्यप्रदेश सरकार से सम्बन्धित निम्नलिखित विनियोग अधिनियमों का निरसन किया जाना है—

- (१) मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९८० (क्रमांक १७ सन् १९८०)
- (२) मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९८० (क्रमांक १८ सन् १९८०)
- (३) मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १५ सन् १९९३)
- (४) मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १६ सन् १९९३)
- (५) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) अधिनियम, १९९३ (क्रमांक ५८ सन् १९९३)।

ये विनियोग अधिनियम या तो अप्रासंगिक हो गए हैं या प्रचलन में नहीं हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका प्रयोजन पूरा हो गया है और उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। अतः मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग से सहमति आवश्यक नहीं है।

४. केन्द्र सरकार की चल रही पहल के ही एक भाग के रूप में, राज्य विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद् द्वारा अधिनियमित ०५ अप्रचलित और अनावश्यक राज्य विनियोग अधिनियमों को निरसित किए जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है। चूंकि विनियोग अधिनियम किसी विशेष वित्तीय वर्ष के पश्चात् स्वयं समाप्त हो जाते हैं, अतः पूर्व में किए गए संव्यवहारों को संरक्षित करने के लिए विधेयक में एक समुचित व्यावृत्ति खण्ड सम्मिलित किया गया है। अधिनियमित हो जाने पर यह अप्रचलित विधियों को कम करेगा और उन लोगों के लिए स्पष्टता लाएगा जिनके कि लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ३० मार्च, २०१६

कुसुम सिंह महदेले
भारसाधक सदस्य।